परिशिष्ट 'अ'
[8/2/2024]

(1)

प्रश्न सं. [क्र. 473]

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, प्रशासनिक क्षेत्र, तिलहन संघ परिसर, भोपाल

क्रमांक / पंचा. / ePRI / 2010 / 5441 भोपाल, दिनांक 18 / 11 / 2010

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत (समस्त)
   मध्यप्रदेश।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत समस्त
   मध्यप्रदेश।

विषय :— प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय (लायब्रेरी) प्रारंभ करना।

संविधान के अनुच्छेद 243—जी में वर्णित ग्यारहवीं अनुसूची के अन्तर्गत दर्शाये गये विषयों में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में वाचनालय स्थापित किये जाने का उल्लेख किया गया है। म.प्र. शासन द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में वाचनालय तथा पुस्तकालय स्थापित किये जाने एवं इस हेतु अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश भी जारी किये गये हैं। परन्तु अब विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि सीधे ग्राम पंचायतों को जाती है। अतः वे उक्त राशि से ग्राम पंचायत स्तर पर वाचनालय प्रारम्भ कर सकते हैं। जिला अनूपपुर ने इस संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया है। माह सितम्बर की पंचायिका में इस संबंध में एक आलेख भी छपा है।

2. ग्रामीणों के लिये ग्राम पंचायत भवन प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहना चाहिये। ग्राम पंचायत में ही एक कक्ष वाचनालय के लिये आरक्षित हो जहां प्रतिदिन कुछ कुर्सियां रख दी जायें। यदि कोई कक्ष न हो तो बैठक हाल का ही इस कार्य के लिये उपयोग किया जाये। (ग्राम पंचायत की बैठक का दिन छोड़कर) स्थान न होने पर स्कूल से एक कक्ष ले सकते हैं। इस वाचनालय के लिये एक या दो दैनिक समाचार पत्र बुलाये जायें जिनमें एक उस क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्र हो। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र कृषि प्रधान है। अतः कृषि क्षेत्र के समाचार पत्र विशेषकर कृषक जगत एवं कृषि मंथन जैसे साप्ताहिक पत्र बुलाये जा सकते हैं जिसमें खेतीबाड़ी के बारे में सामयिक जानकारी रहती है। इसके अतिरिक्त पंचायत क्षेत्र के समाचार देने वाली कुछ मासिक पत्रिकाएं भी हैं वे ली जा सकती हैं।

3. ''पचायिका'' हर माह मिले यह सुनिश्चित करें जिन ग्राम पंचायतों में पंचायिका नहीं मिल रही है उनके नाम मुझे ई—मेल पर सूचित करें। इसी प्रकार माध्यम द्वारा प्रकाशित ''म.प्र. रोजगार और निर्माण'' भी प्रत्येक सप्ताह ग्राम पंचायतों में भेजा जाता है यदि किसी पंचायत में यह नहीं जा रहा है तो मुझे सूचित करें।

4. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत में स्थापित होने वाले वाचनालय एवं पुस्तकालय में स्कूली छात्रों एवं युवा

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

(2)

वर्ग के लिए रोचक, ज्ञानवर्धक, नैतिक शिक्षा एवं राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत करने वाला सद्साहित्य उपलब्ध कराया जाये। ग्राम पुस्तकालय के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त साहित्य (पुस्तकों) को भी इसमें सुरक्षित रखा जावे। ग्राम वाचनालय/पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली पाठ्य सामग्री का संधारण पंजी में उचित ढंग से हो यह भी सुनिश्चित किया जावे। ग्राम वाचनालय/पुस्तकालय प्रतिदिन ग्रामवासियों की सुविधानुसार नियत समय पर खुले एवं आने वालों को उपलब्ध साहित्य पढ़ने हेतु प्राप्त हो सके यह भी सुनिश्चित किया जावे।

5. जनपद की कितनी ग्राम पंचायतों में कितने वाचनालय प्रारंभ हो गये है इसकी सूचना मुझे प्रतिमाह ई–मेल से भेजी जावे। मेरा ई–मेल dirpanchayat@mp.gov.in है।

सही/–
(हीरालाल त्रिवेदी)
आयुक्त
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक–पंचा.प्रशि./2010/5442 भोपाल, दिनांक 18/11/2010

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
2. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
   की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–
आयुक्त
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

उप सचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश